**// प्रतिलिपि //**

**न्यायालय – अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी, रायपुर,**
**जमानत याचिका क0 2940/18 शासन वि0 मुन्ना सिंह में**
**पारित आदेश दिनांक– 04.12.2018 के आदेश की प्रतिलिपि –**

---

मुन्ना सिंह, उम्र 32 वर्ष, पिता गुलाब सिंह
निवासी– गाजी नगर दुर्गानगर
बीरगांव थाना उरला
रायपुर, जिला रायपुर छ0ग0 ————————————**–आवेदक**

// वि रू द्व //

छ0ग0शासन द्वारा
आरक्षी केन्द्र **खमतराई – अनावेदक** ————————————————————

**पश्चात– 04.12.2019**

यह जमानत आवेदन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के आदेशानुसार विधिवत निराकरण हेतु अंतरण पर प्राप्त। साथ में थाना खमतराई से अपराध क0 431/18 की केस डायरी पेश।

**आवेदक/आरोपी** की ओर से श्री मोह अजीज हुसैन अधिवक्ता।

शासन की ओर से श्री ताराचंद कोसले विशेष लोक अभियोजक।

आवेदन पर उभय को सुना गया।

इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा–439 द0प्रं0स का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक /आरोपी के पिता श्री गुलाब सिंह द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर घोषित किया गया कि आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अलावा कोई भी जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर या किसी अन्य न्यायालय में न ही लंबित है और न ही निराकृत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त अपने परिवार का एक मात्र पालन पोषण करता है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। आवेदक/अभियुक्त जिला रायपुर का निवासी है, जमानत पर रिहा होने से उसके फरार होने की संभवना नही है। आवेदक/अभियुक्त अपने परिवार का एक मात्र पालन पोषण करने वाला व्यक्ति है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होना चाहता है। समस्त शर्तो का पालन करने को तैयार है। अतः जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आवेदन का विरोध करते हुए व्यक्त किया कि आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ न दिया जावे।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थिया ने दिनांक 19.08.2019 को थाना खमतराई में

इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 19.08.2019 को वह अपने घर में अकेली थी कि दोपहर 02 से 03 बजे के मध्य उसके पति का परिचित आवेदक/आरोपी आया और घर मे घुसकर हाथ पकड लिया और अश्लील बात किया गलत बोला, तब धक्का मुक्की की तब घर का दरवाजा बंद करने की कोशिश किया, चिल्लाने पर रिपोर्ट करोगी तो जान से मारने की धमकी दिया व भा गया। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर आवेदक/आरोपी के विरूद्व धारा– 454, 354, 354(क), 506 भा0द0सं0 का अपराध पंजीबद्व कर प्रार्थिया का कथन दर्ज किया गया। अभियुक्त को गिरफतार किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक/आरोपी दिनांक–25.11.2019 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित अपराध की धाराएं न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है एवं मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नही है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही है। अतः प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक /आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लगातार निरूद्व रखे जाने का कोई न्यायोचित आधार दर्शित नही होता है। अतः आवेदक /आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा–439 द0प्र0सं0 निम्न लिखित शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता है–

**शर्ते :–**

01– आवेदक /आरोपी विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 10,000 रूपये का सक्षम जमानत व इतने ही राशि का स्वतः का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश करे।

02– आवेदक /आरोपी किसी प्रकार से गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नही करेगा और न ही उन्हें डरायेगा, धमकायेगा।

03– आवेदक /आरोपी उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नही करेगा और न ही किसी अन्य अपराध में संलिप्त होगा ।

04– आवेदक /आरोपी प्रकरण के अंतिम निराकरण तक नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

यदि आवेदक /आरोपी द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त जमानत आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा और अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जा सकेगा।

केस डायरी वापस हो।

प्रकरण समाप्त नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा हो।

**sd/-**
(श्रीमती पूजा जायसवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,एफटीसी
रायपुर (छत्तीसगढ़)

**प्रतिलिपि–**

**01 न्यायालय सुश्री रूपल अग्रवाल न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी रायपुर को आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।**

**02. थाना प्रभारी थाना खमतराई को आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।**

(श्रीमती पूजा जायसवाल)

अपर सत्र न्यायाधीश,एफटीसी
रायपुर (छत्तीसगढ़)